



पत्रांक 2996 /क्यू 2-43/ यू0आर0आर0डी0ए0/2015 दिनांक 03 फरवरी, 2016

### स्थायी - आदेश सं० 2/2016

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन कार्यों, मोटर मार्ग/सेतुओं के लिए एन.आर.आर.डी.ए., भारत सरकार द्वारा निर्धारित मुख्य सूचना पट (Main Citizen Information Board) में अभी तक सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/पी.आई.यू. का Contact No. नहीं अंकित किया जा रहा है। अतः समस्त कार्यों के मुख्य सूचना पट (Main Citizen Information Board) में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/पी0आई0यू0 अपने विभागीय दूरभाष नं० का भी अनिवार्य रूप से अंकन करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ह.  
(ए०के० दिनकर)  
मुख्य अभियन्ता  
यू०आर०आर०डी०ए०

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू०आर०आर०डी०ए०, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० ग०क्षे०, देहरादून/कु०क्षे०, अल्मोड़ा।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०यू० (पी.एम.जी.एस.वाई.), उत्तराखण्ड।

मुख्य अभियन्ता  
यू०आर०आर०डी०ए०